

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-900 / 2011
 संस्थित दिनांक-22.11.2011
 फाईलिंग क.234503000532011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-संतलाल पिता भादूसिंह, उम्र-30 वर्ष,
 निवासी-ग्राम डोरा, पुलिस चौकी डोरा, थाना रूपझर,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

2-मुन्नालाल पिता हगरूसिंह, उम्र-45 वर्ष,
 निवासी-ग्राम फण्डकी, पुलिस चौकी डोरा, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-03/11/2016 को घोषित)

1- आरोपी संतलाल भलावी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं धारा-3/181 मोटरयान अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-28.08.2011 को शाम 5:30 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बघोली में लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स क्रमांक एम.पी-50/एम.डी-9183 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत कुमारी प्रिंसी को टक्कर मारकर उसके बाएं पैर की फीमर बोन में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की, उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाया। आरोपी मुन्नालाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177, 130(3)/177, 146/196, 39/192, 5/180 के तहत आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर भारसाधक पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक अनुज्ञप्ति पेश नहीं की, उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश नहीं किया, उक्त वाहन को बिना बीमा के चालन करवाया, उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन कराए चालन करवाया, उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त आरोपी संतलाल भलावी को चालन करने दिया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जितेन्द्र कुमार गजावे ने दिनांक-12.09.2011 को थाना परसवाड़ा में एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि वह ग्राम बघोली का निवासी है। दिनांक-28.08.2011 को लगभग शाम 5:30 बजे

उसकी पुत्री कुमारी प्रिंसी, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष है, अपने घर आ रही थी, तभी मोटरसाईकिल चालक संतलाल भलावी पिता भादू भलावी ने तेज गति से वाहन चलाकर उसकी पुत्री कुमारी प्रिंसी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी पुत्री के पैर एवं जांघ की हड्डी टूट गई थी। मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा सी.डी. डिलक्स थी, जिस पर नंबर नहीं था। वह तुरंत अपनी पुत्री को मार्शल वाहन से ईलाज हेतु बालाघाट लेकर गया और उसके बाद नागपुर लेकर गया। वहां से दिनांक-11.09.2011 को वापस ग्राम बघोली आया इसलिए उसने दिनांक-12.09.2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फरियादी की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वाहन चालक संतलाल भलावी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-44/11, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान आहत प्रिंसी की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग होने से तथा घटना के समय आरोपी वाहन चालक द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति के वाहन चलाए जाने से उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 का ईजाफा किया गया एवं वाहन मालिक मुन्नालाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत धारा-130(1), 130(3), 146/196, 39/192, 5/180 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी संतलाल भलावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं धारा-3/181 मोटरयान अधिनियम एवं आरोपी मुन्नालाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177, 130(3)/177, 146/196, 39/192, 5/180 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी संतलाल भलावी ने दिनांक-28.08.2011 को शाम 5:30 बजे, थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बघोली में लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स क्रमांक एम.पी-50/एम.डी-9183 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी संतलाल भलावी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत कुमारी प्रिंसी को टक्कर मारकर उसके बाएं पैर की फीमर बोन में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित ?
3. क्या आरोपी संतलाल भलावी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाया ?
4. क्या आरोपी मुन्नालाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उसने भारसाधक पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक अनुज्ञप्ति पेश नहीं की ?
5. क्या आरोपी मुन्नालाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश नहीं किया ?
6. क्या आरोपी मुन्नालाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलान करवाया ?
7. क्या आरोपी मुन्नालाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन कराए चालन करवाया ?
8. क्या आरोपी मुन्नालाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त संतलाल भलावी को चालन करने दिया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी जितेन्द्र गजावे अ.सा.1 ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना माह अगस्त वर्ष 2011 की शाम 5:30 बजे की है। उसकी पुत्री कुमारी प्रिंसी अपनी बड़ी मम्मी के घर से अपने घर आने के लिए सड़क के एक तरफ खड़ी थी, तभी आरोपी संतलाल भलावी ने हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसकी पुत्री को टक्कर मार दी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री सड़क पार करके आ रही थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि घटना के समय वह दुकान के बाहर था, इसलिए उसने घटना देखी थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी वाहन को तेज गति से नहीं चला रहा था।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी नीलचंद अ.सा.4 ने फरियादी जितेन्द्र गजावे के कथनों का समर्थन कर यह कहा है कि वह आरोपी को जानता है। वह आहत प्रिंसी को भी जानता है। घटना दिनांक को आरोपी संतलाल मोटरसाईकिल से तेज गति से आया और रोड के एक तरफ साईड में खड़ी कुमारी प्रिंसी को मोटरसाईकिल बहकाकर टक्कर मार दी, जिससे उसे चोट आई थी। पुलिस ने घटना के विषय में उससे पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः यह कहा है कि दुर्घटना के समय आरोपी वाहन को

तेज गति से चला रहा था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि गद्दे में गिरने से आहत को चोट आई थी।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी श्रवणकुमार अ.सा.5 ने कहा है कि घटना दिनांक-28.08.2011 की ग्राम बघोली की है। वह अपनी किराना दुकान में बैठा हुआ था तो उसने देखा कि सी.डी. डिलक्स वाहन से प्रिंसी का एक्सीडेंट हो गया था। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी, उसे आरोपी संतलाल तेज गति से चला रहा था। आहत प्रिंसी को उठाकर परसवाड़ा अस्पताल ले गए, वहां से बालाघाट अस्पताल उसके बाद नागपुर अस्पताल ले गए थे। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था।

8— रामलाल नेताम अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-12.09.2011 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता जितेन्द्र कुमार की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-44/11, धारा-279, 337 भा.द.वि. के तहत आरोपी संतलाल के विरुद्ध लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् आहत प्रिंसी का शासकीय अस्पताल परसवाड़ा से मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी-4 के माध्यम से मुलाहिजा करवाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी नेहरू अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-13.09.2011 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-44/11, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हाने पर प्रार्थी जितेन्द्र गजावे की निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रार्थी जितेन्द्र गजावे एवं साक्षी श्रवण कुमार गजावे, ओमप्रकाश मुखरजी, नीलचंद, मदन, मुन्नालाल, मेहतरसिंह, पूजन गजावे के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसने आरोपी संतराम से साक्षियों के समक्ष एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी संतराम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-02.10.2011 को निरीक्षक बी.आर. द्विवेदी ने अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी द्वारा बिना ड्राईविंग लायसंस, बिना इंश्योरेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाए जाने से उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192, 130(1), 130(3) एवं आहत को फ़ेक्चर होने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 बढ़ाई गई थी। उक्त अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-8 है,

जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर निरीक्षक बी.आर. द्विवेदी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही थाने में बैठकर अपने मन से की थी।

10— घटना के विषय में साक्षी पूनम अ.सा.2 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानती। घटना के समय वह अपने घर पर थी, तभी उसके पति ने आकर उसे बताया था कि उसकी पुत्री प्रिंसी का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी पुत्री को बालाघाट अस्पताल लेकर गए थे। इस साक्षी ने उसकी पुत्री की दुर्घटना होना अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है।

11— अभियोजन साक्षी जितेन्द्र गजावे अ.सा.1, नीलचंद अ.सा.4, श्रवण कुमार अ.सा.5 ने दुर्घटना के विषय में स्पष्ट कथन कर यह कहा है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी संतलाल वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई। इस विषय में साक्षी नीलचंद अ.सा.4 का मुख्यपरीक्षण महत्वपूर्ण है, जिसने यह कहा है कि दुर्घटना के समय आहत प्रिंसी सड़क की एक तरफ खड़ी थी और आरोपी ने उसे अपना वाहन बहकाकर उसे टक्कर मारी थी। इसी प्रकार का कथन साक्षी श्रवण कुमार अ.सा.5 ने अपने मुख्यपरीक्षण में किया है। साक्षी रामलाल नेताम अ.सा.7 ने दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना प्रमाणित किया है, जबकि विवेचक नेहरू अ.सा.8 ने उसके द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही को अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है। उपरोक्त साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहे हैं कि दुर्घटना के समय आरोपी वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई थी।

12— जहां तक विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की बात है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी-1 की शिकायत के आधार पर दर्ज कराई गई। प्रदर्श पी-1 की शिकायत में इस बात का उल्लेख है कि दुर्घटना के पश्चात् फरियादी अपनी पुत्री को ईलाज हेतु बालाघाट लेकर गया था और इसके बाद उसकी पुत्री को नागपुर रेफर किया गया था, जहां उसका ईलाज किया जाता रहा। इस प्रकार दुर्घटना के पश्चात् सर्वप्रथम आहत को उचित चिकित्सा की आवश्यकता होने से तत्काल घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी, जो कि सद्भाविक कारण है और ऐसा नहीं माना जा सकता कि सोच-विचारकर घटना के काफी विलंब से घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक को ग्राम बघोली मेन रोड में लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा सी.डी. डिलक्स क्रमांक एम. पी-50/एम.डी-9183 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष :-

13- अभियोजन साक्षी जितेन्द्र गजावे अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि दुर्घटना में उसकी पुत्री को पैर में व जांघ में चोट आई थी। वह अपनी को पुत्री को ईलाज हेतु बालाघाट लेकर गया था, जहां डॉक्टर एस. जैन के यहां उसका ईलाज हुआ था। डॉक्टर ने उसका उसकी पुत्री के पैर व जांघ की हड्डी टूटना बताया था। दुर्घटना में आहत प्रिंसी को पैर में चोट लगी थी, यह बात साक्षी नीलचंद अ.सा.4 तथा श्रवण कुमार अ.सा.5 ने भी अपने कथन में की है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी डॉक्टर अवधेश गौर अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-12.09.2011 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहत प्रिंसी गजावे पिता जितेन्द्र, उम्र-5 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसे उसने जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया था। आहत को आई चोट 16 दिन पुरानी थी, जिसमें प्लास्टर लगा हुआ था। आहत का प्राईवेट अस्पताल में ईलाज हुआ था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्राईवेट अस्पताल की चिकित्सीय पर्ची के अनुसार मरीज को 16 दिन पुरानी चोट होना उसने बताया है।

14- अभियोजन साक्षी डॉ. डी.के. राउत अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-28.09.2011 को जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-14.09.2011 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने कुमारी प्रिंसी के बाईं जांघ का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-3333 था, जिसे डॉ. समद ने एक्सरे हेतु रेफर किया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत के बाईं जांघ की फीमर हड्डी के उपरी एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सामान्य गति से वाहन के टकराने पर उक्त चोट आ सकती है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस प्रतिवेदन अनुसार रिपोर्ट तैयार की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सामान्य गति से वाहन टकराने से आहत को इस प्रकार की चोट आ सकती है।

15- दुर्घटना दिनांक-28.08.2011 को हुई थी, इस बिन्दु पर कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, जबकि चिकित्सीय साक्षी डी.के. राउत अ.सा.6 ने कहा है कि वह दिनांक-28.09.11 को जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था तथा दिनांक-14.09.2011 को एक्सरे टेक्नेशियन ए.के. सेन ने आहत प्रिंसी की जांघ का एक्सरे लिया था, जिसमें उसने आहत की फीमर हड्डी के एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना

पाया था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 तथा एक्सरे रिपोर्ट आर्टिकल ए-1 को डॉक्टर डी.के. राउत ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है। इस प्रकार दुर्घटना में आहत प्रिंसी को अस्थिभंग होना प्रमाणित हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-3 का निष्कर्ष :-

16- आरोपी संतलाल के विरुद्ध दुर्घटना कारित वाहन बिना वैध अनुज्ञप्ति से चलाए जाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 का भी अभियोग है। इस विषय में आरोपी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है कि दुर्घटना दिनांक को मोटरसाईकिल चलाने के लिए उसके पास वैध अनुज्ञा थी। प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर कि आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस था, कोई भी बात बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षियों से न तो पूछी गई है और न ही इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य अपनी ओर से प्रस्तुत की गई है, इसलिए आरोपी द्वारा घटना दिनांक को बिना वैध अनुज्ञा के वाहन चलाया जाना प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता। अतएव आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-4,5,6,7,8 का निष्कर्ष :-

17- आरोपी मुन्नालाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177, 130(3)/177, 146/196, 39/192, 5/180 का अपराध किये जाने का अभियोग है।

18- अभियोजन साक्षी नेहरू अ.सा.8 ने घटना में विवेचना की थी। उसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि उसने गवाहों के समक्ष आरोपी संतलाल से एक मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा कंपनी की प्रदर्श पी-6 अनुसार जप्त की थी। दिनांक-02.10.2011 को निरीक्षक बी.आर. द्विवेदी ने वाहन को बिना लायसेंस के, बीमे के, रजिस्ट्रेशन के चलाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धाराओं का ईजाफा किया था। उपरोक्त जप्तशुदा वाहन आरोपी मुन्नालाल के स्वामित्व का वाहन होना पाया गया था, इसलिए उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत विचारण किया गया। आरोपी मुन्नालाल के द्वारा यह आधार अपने बचाव में नहीं लिया गया है कि दुर्घटना वाहन सी.डी. डीलक्स जिसका इंजन नंबर-97.सी.एम.3.जी.बी.जी. एवं फ्रेम नंबर-एम.बी.एल.एच.ए.11.ई.एन.ए.9.एम.14186 से नहीं हुई थी। बचाव में यह आधार भी नहीं लिया गया है कि विवेचक द्वारा उपरोक्त वाहन

को विवेचना की कार्यवाही में जप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार दुर्घटना वाहन हीरोहोण्डा सी.डी. डीलक्स से ही कारित होना मानी जावेगी और आरोपी मुन्नालाल ने उपरोक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा तथा बिना लायसेंस किसी व्यक्ति को वाहन चलाने देना तथा संबंधित पुलिस के भारसाधक अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दस्तावेज पेश नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जावेगा। ऐसी स्थिति में आरोपी मुन्नालाल को मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177, 130(3)/177, 146/196, 39/192, 5/180 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता। अतएव आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-130(1)/177, 130(3)/177, 146/196, 39/192, 5/180 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपी मुन्नालाल को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

1. आरोपी मुन्नालाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-130(1)/177 के अपराध के लिये 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी मुन्नालाल को 2 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
2. आरोपी मुन्नालाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-130(3)/177 के अपराध के लिये 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी मुन्नालाल को 2 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
3. आरोपी मुन्नालाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 के अपराध के लिये 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी मुन्नालाल को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. आरोपी मुन्नालाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-39/192 के अपराध के लिये 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी मुन्नालाल को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
5. आरोपी मुन्नालाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180 के अपराध के लिये 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी मुन्नालाल को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

19- आरोपी संतलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं 338 में सिद्धदोष किया गया है। आरोपी संतलाल द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते

हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

जिला-बालाघाट

पुनश्च-

20- दंड के प्रश्न पर आरोपी संतलाल के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी संतलाल का यह प्रथम अपराध है। आरोपी संतलाल एवं फरियादी पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। विचारण में काफी समय लग गया है। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

21- आरोपी द्वारा विगत पांच वर्षों से विचारण का सामना किया जा रहा है। आरोपी द्वारा आहत को गंभीर प्रकृति की चोट आपराधिक मानसिकता के द्वारा पहुंचाई गई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी को अत्यधिक कठोर दण्ड देना उचित नहीं होगा। अतः आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

1. आरोपी संतलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के लिए 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी संतलाल को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

2. आरोपी संतलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी संतलाल को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3. आरोपी संतलाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 के अपराध के लिये 200/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी संतलाल को 3 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

22- प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

24- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

25- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.डी-9183 मुन्नालाल पिता हगरूसिंह, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम फण्डकी, थाना रूपझर, जिला-बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)